महत्वपूर्ण एवं खास

ग्राम खैरहा (सारंगढ़) के जुआ फड में रेड, 11 आरोपियों से 74,690 रूपये जप्त

न्यायसाक्षी रायगढ़। आज दिनांक 05.11.18 के सुबह करीब 03.30 बजे मुखबिर सूचना पर क्राईम ब्रांच व थाना सारंगढ़ स्टाफ द्वारा ग्राम खैरहा में जुआ खेल रहे व्यक्तियो को घेराबंदी कर पकडे, इस दौरान 1. मुरलीधर खुंटे पिता स्व. दयाराम खुंटे उम्र 37 वर्ष साकिन डौकीजोर थाना कोसीर 2. राहुल खुंटे पिता दिनाराम खुंटे उम्र 26 वर्ष साकिन चंदाई थाना सारंगढ 3. हेमंत कुमार चंद्रा पिता सूर्य कुमार चंद्रा उम्र 38 वर्ष सा0 कमलानगर थाना सारंगढ 4. चंद्रशेखर देवागन पिता देवलाल देवांगन उम्र 28 वर्ष सा0 प्रतापगंज सारंगढ 5. मनोज देवांगन पिता हरिशरण देवांगन उम्र 28 वर्ष सा0 राजापारा सारंगढ 6. नवलसिंह ठाकुर पिता गोविद सिंह ठाकुर उम्र 27 वर्ष सा0 खैरहा थाना सारंगढ 7. विक्रांत थवाईत पिता स्व विजय थवाईत उम्र 40 वर्ष सा0 सारंगढ 8. वेदप्रकाश देवांगन पिता गेंदालाल उम्र 24 वर्ष सा0 सारंगढ 9. संतोष यादव पिता कुबेर चंद उम्र 40 वर्ष सा0 सारंगढ 10. भीष्मदेव मनहर पिता स्व हुलासराम मनहर उम्र 52 वर्ष सा0 रानीसागर 11. रोहित शर्मा पिता बंशीलाल शर्मा उम्र 31 वर्ष सा0 गोडिहारी जुआ खेलते पकडे गये जिनके पास एवं फड से जुमला 74690/- रूपये जप्त किया गया है । आरोपियों के विरूद्ध थाना सारंगढ़ में अप.क्र. 759/18 धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है ।

पूंजीपथरा क्षेत्र में 20 लिटर तथा कनकबीरा में 12 लिटर अवैध शराब जप्त

न्यायसाक्षी रायगढ़। दिनांक 04.11.18 को थाना पूंजीपथरा स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर शाम करीब 19.30 बजे बाबाडेरा देलारी के पास जंगल रास्ते से देलारी की ओर शराब लेकर जाते हुये एक व्यक्ति को पकडे, व्यक्ति ने अपना नाम लक्ष्मन चौहान ऊर्फ लक्ष्मण् चौहान पिता परदेशी चौहान उम्र 36 वर्ष सा.मलदा थाना पुसौर हा.मु.देलारी बताया जिसके पास से पुलिस ने 20 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया है । आरोपी के विरूद्ध थाना पूंजीपथरा में अप.क्र. 145/18 धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई है । दूसरी घटना में पुलिस चौकी कनकबीरा प्रभारी लल्लन सिंह एवं स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर दिनांक 04.11.18 के शाम करीब 17.45 बजे ग्राम सालर के भार्गव उर्फ भगवंतलाल साहू पिता प्रेमलाल साहू उम्र 35 वर्ष साकिन के चाय भजिया होटल में शराब रेड की कार्यवाही किया गया , जहां अवैध बिक्री के लिये ड्रम में रखी हुई 12 बल्क लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है । आरोपी के विरूद्ध थाना सारंगढ़ (चौकी कनकबीरा) में अपराध क्रमांक 758/2018 धारा 34(1)(क),34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही किया गया ।

आर्म्स एक्ट की कार्यवाही

न्यायसाक्षी रायगढ़। दिनांक 04.11.18 को थाना सारंगढ़ में पदस्थ उप निरीक्षक जय सिंह खूंटे व हमराह स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर शाम करीब 17.20 बजे ग्राम कुशलनगर में सतीश साहनी के घर सामने विजय शंकर साहनी उर्फ विक्की साहनी पिता सुन्दर लाल साहनी उम्र 29 वर्ष साकिन कुशलनगर थाना सारंगढ को एक तलवार के साथ पकड़े, आरोपी के विरूद्ध थाना सारंगढ़ में अप.क्र. 754/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई है ।

धनतेरस त्योहार के दिन हुआ था एक्सीडेंट

❍ अनियंत्रित वैन लोगों को ठोकर मारते हुए दुकान में घुसी, उमरदराज महिला सहित 3 घायल
❍ जिंदल के डिप्टी मैनेजर का पॉव तीन जगह से टूटा ❍ एक के उपर से गुजरी मारूति वैन

शराब के नशे में धुत थें मारूति वेन के चालक एवं सहयोगी

न्यायसाक्षी रायगढ़। मंगलवार की शाम शहर के स्टेडियम के पास एक अनियंत्रित वारूति वैन के चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए कई लोगों की अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दुर्घटना में चालक के भी घायल होनें की खबर है।

मिली जानकारी के अनुसार धनतेरस की शाम शहर के चक्रधरनगर क्षेत्र स्थित बोईरदादर रोड़ के स्टेडियम के पास शाम करीब साढ़े 7 बजे एक तेज रफ्तार स्कूल वाहन क्र. सीजी 04 एचए 6702 के चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए रांग साईड में वैन चलाकर एक बाईक सवार को ठोकर मार दिया। जिससे बाईक सवार सडक़ पर गिरकर घायल हो गया। इतने पर भी मारूति नही रूकी और लहराते हुए आगे जाकर एक महिला व एक व्यक्ति को अपनी चपेट में लेते हुए सत्या कम्प्यूटर के दुकान में घुस गई। इस घटना में चार लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना के कारण मारूति वैन का सामने का हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। देर शाम हुई इस सडक़ दुर्घटना में घायलों में पहला नाम श्रीमती सूचिता पटनायक पति श्री एस पी पटनायक,निवासी बैंक कॉलोनी चक्रधर नगर रायगढ़ का है, जिनके सर पर काफी चोट है ,साथ ही अंदरूनी चोट कइयों को लगी है, दूसरा अक्षय प्रधान जिनके पैरों में काफी छोटे आये है, निवासी टी वी टावर छोटे अतरमुड़ा, उनके साथी तीसरे तुषार डनसेना जिनके पेट के ऊपर से वेन का चक्का निकला है, जिनके पीठ और कंधे में काफी चोट आई है, ये दोनों एक ही जगह छोटे अतरमुड़ा के है,चौथा नाम सौरभ शर्मा और पॉंचवा नाम गौरव शर्मा दोनों भाई है जो जिंदल में डिप्टी मैनेजर सौरभ का दाहिने पैर तीन जगह से टूट चुका है, निवासी श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़, डॉक्टर के बताए अनुसार, जिसका ऑपरेशन किया जाना है। गौरव शर्मा के कंधे में भी काफी चोट आई है साथ ही सर भी फटा है, टॉंके लगे है।

खबर लिखते तक ये पूरी तरह से शराब पीकर लापरवाही पूर्वक चलाये जा रहे ड्राइवर अजित एक्का पिता पिल्लव एक्का हॉल मुकाम निवासी छोटे अतरमुड़ा जिला पंचायत आफिस के पीछे, का हाथ नज़र आ रहा है। उसके साथ उसका साथी राजकुमार यादव पिता फुलसिंग यादव जो कि कृष्ण बेकरी में कार्यरत जिम्मेदार है, था। मौके पर जनआक्रोश इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि लोग वेन में आग लगाने के लिए तैयार थे, ऐन वक्त पर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के विधि सलाहकार श्री तथागत श्रीवास्तव और दैनिक न्याय साक्षी कार्यालय प्रमुख अक्षय स्वर्णकार द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने पर पुलिस की दखल से मामला शांत कराया गया। घायलो को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुचाया गया, इस पूरे घटनाक्रम में प्रमुखता के साथ तत्परता से जनाक्रोश को शांत कराया गया, बल्कि आगजनी जैसी घटना को होने से रोके जाने के लिए दैनिक न्याय साक्षी टीम लगातार पुलिस को संपर्क साधे रही। आरोपियों को तत्काल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए और मौके की नजाकत को भाप कर अपने कस्टडी में लिया गया। इस दौरान लगातार एडएसपी राठौर साहब से साथ ही हमारे काबिल चक्रधरनगर थाना प्रभारी युवराज जी से संपर्क बना रहा, जिससे भारी दुर्घटना एवं जनहानि को और बढ़ने होने से बचाया जा सका।

मामले को शांत किये जाने में सफलता मिली। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हॉस्पिटल पहुच कर घायलो की जानकारी लिए ,पूरा प्राथमिक उपचार होने तक वह उपस्थित भी रहे। पुलिस की परेशानी ये हैं कि अभी तक किसी भी आहत ने अथवा किसी अन्य ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। वैसे, पूरे मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है ताकि कार्यवाई की जा सके। पुलिस की तत्परता और सकारात्मक कार्यवाही अत्यंत सराहनीय रही, पुलिस धन्यवाद की पात्र है।

जिले के विभिन्न थानाक्षेत्र में जुआ एक्ट के तहत की कार्यवाही

न्यायसाक्षी रायगढ़। थाना चक्रधरनगर के क्षेत्राधिकार में अप.क्र. 425/18 धारा 13 जुआ एक्ट, घटनास्थल विजयपुर मरघट्टीपारा के पास, जप्त रकम 1040 रूपये, आरोपीगण - (1) जयप्रकाश अजगल्लें पिता नान्हू राम अजगल्लें उम्र 22 वर्ष सा. टारपाली डीपापारा चक्रधरनगर (2) मिलन सिदार पिता मोतीराम सिदार उम्र 31 वर्ष सा.विजयपुर पुरानी बस्ती चक्रधरनगर (3) सुखसाय उरांव पिता घुरउराम उरांव उम्र 32 वर्ष सा. विजयपुर पुरानी बस्ती चक्रधरनगर के विरूध कार्यवाही की गई । दूसरे अप.क्र. 427/18 धारा 13 जुआ एक्ट, घटनास्थल ग्राम पण्डरीपानी, जप्त रकम 4300 रूपये, आरोपीगण - (1) अनिल खेस पिता पुनीलाल खेस उम्र 18 वर्ष 07 माह (2) जम्बू लाल उरांव पिता बाबू लाल उरांव उम्र 32 वर्ष (3) नवीन उरांव पिता जयलाल उरांव उम्र 33 वर्ष (4) मोइन हुसैन पिता हुसैन मुसलमान उम्र 45 वर्ष साकिनान पण्डरीपानी के विरूद्ध कार्यवाही की गई। तीसरी घटना अप.क्र. 428/18 धारा 13 जुआ एक्ट, घटनास्थल ग्राम कोतरलिया बोरोमुड़ा तालाब, जप्त रकम - 4800 रूपये, आरोपीगण - (1) दिनेश साहू पिता बलराम साहू उम्र 34 वर्ष (2) रविशंकर किसान पिता सुकुतराम किसान जाति खड़िया उम्र 19 वर्ष (3) प्रफुल्ल सेठ पिता भोजराम सेठ उम्र 25 वर्ष (4) दिव्य किशोर पिता मुरलीधर प्रधान उम्र 26 वर्ष (5) समारू पिता गोपाल यादव उम्र 35 वर्ष साकिन कोतरलिया के विरूद्ध कार्यवाही की गई। थाना छाल के क्षेत्राधिकार के तहत् पहले अप.क्र. 198/18 धारा 13 जुआ एक्ट, घटनास्थल खेदापाली शिवनाथ मोटर्स के पीछे, जप्त रकम - 5100 रूपये, आरोपीगण 1. गज्जू चौहान ग्राम खेदापाली 2. करन कुमार रजक ग्राम बोकरामुडा 3. ओम प्रकाश आदिले खेदापाली 4. राकेश केंवट खेदापाली, के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

वाहन की ठोकर से विक्षिप्त की मौत, परिजनों को तलाश रही पुलिस

न्यायसाक्षी रायगढ़। पुलिस चौकी जूटमिल अन्तर्गत दिनांक 30.10.18 को सुबह करीब 05.00 बजे ग्राम झलमला उड़ीसा रोड में एक दिमागी रूप से कमजोर अज्ञात व्यक्ति उम्र क़रीब 30 वर्ष को अज्ञात वाहन ठोंकर मारकर एक्सीडेंट करने से आहत का ईलाज के दौरान रायगढ़ में फौत हो गया। चौकी जूटमिल पुलिस द्वारा अज्ञात मृतक के वारिसानों की पतासाजी की जा रही है, अबतक वारिसानों का

पता नहीं चला है। यदि किसी को अज्ञात मृतक के वारिसानों की जानकारी हो तो चौकी प्रभारी जूटमिल को मोबाईल नम्बर 9479193229 पर सूचित करें ।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें ....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास,
रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र की

खरसिया,सारंगढ़, पुसौर, तमनार,घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO.-CHHHIN16931